ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 493-497

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

ग्रामीण युवकों में नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के उपाय

अखिलेश कुमार सरोज
शोध अध्येता – राजा श्री कृष्ण दत्त पी0जी0 कॉलेज, जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received- 09.08.2020, Revised- 15.08.2020, Accepted - 18.08.2020 E-mail: - aiocomputer15@gmail.com

सारांश : ***"नशाखोरी एक जटिल सामाजिक समस्या है। जिसे कानूनों एवं चिकित्सीय प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि आंशिक रूप से कुछ समय तक अंकुश लगाया जा सकता है। नशाखोरी के जाल में फंसे व्यक्तियों के साथ हमें पारिवारिक स्तर पर, शिक्षण संस्थान स्तर, सामाजिक स्तर पर, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, संस्थाएं एवं पुनर्वास केन्द्र स्तर पर प्रयास करने होंगे। तभी इस जटिल समस्या से निजात मिल सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण युवकों में नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के उपाय को जानना है ताकि राष्ट्र के निर्माण में यह समस्या बाधक न हो एवं नशा मुक्ति/नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता सम्बन्धी कारणों की खोज एवं नशाखोरी पर नियंत्रण तथा निषेध के सम्बन्ध में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं की सार्थकता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार को प्रस्तुत किया गया है।"***

कुंजीभूत शब्द– – नशाखोरी, मादक पदार्थ, सामाजिक बुराई, तस्करी, वैधानिक कार्यवाही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार।

नशाखोरी एक जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्या अवश्य है, जबकि इसका निदान भी सम्भव है। इसे एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में स्वीकार न करके एक सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नशाखोरी की गम्भीरता को समझने की आवश्यकता है। यह तभी सम्भव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसके दुष्परिणाम से अवगत कराया जाए। इसकी समस्या का मूल समाधान समाज के प्रत्यके निचले स्तर से उच्च स्तर तक, सामूहिक स्तर के साथ व्यक्तिगत स्तर पर इसको समाप्त करने के प्रयास करने होंगे।

इसके समाधान के लिए एक सुनियोजित संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उपचार केन्द्रों द्वारा नशाखोरी में फंसे युवकों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। समस्या निवारण केन्द्र, सलाहकार ब्यूरों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकार द्वारा नशाखेरी पर अंकुश लगाने के लिए औषधि नियंत्रण कानून प्रभावशाली होना चाहिए।[1]

नशाखोरी मुख्यतः मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का परिणाम है। व्यक्ति अपने सामने बेरोजगारी की समस्या, अंधकारमय भविष्य तथा अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार देखकर दिग्भ्रान्त हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था में नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के ह्रास होने से नशाखोरी की समस्या वर्तमान समय में और भी गम्भीर समस्या बन गई है। प्रचार माध्यमों विशेषकर दूरदर्शन द्वारा हिंसा एवं यौनवृत्ति को गौरवान्ति करने से, राजनीति के अपराधीकरण से एवं दण्ड व्यवस्था की गिरती हुई साख से ऐसा वातावरण बन जाता है। जो कि आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है।[2] नशाखोरी एक जटिल सामाजिक समस्या है। जिसे कानूनों एवं चिकित्सीय प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि आंशिक रूप से कुछ समय तक अंकुश लगाया जा सकता है। सिंह एम0एन0 के अनुसार नशाखोरी के जाल में फंसे व्यक्तियों के साथ हमें पारिवारिक अपनत्व व सामंजस्य स्थापित करने होंगे। जिससे परिवार, शिक्षण संस्थान तथा समाज द्वारा एक सार्थक पहल सम्भव है।[3]

पारिवारिक स्तर पर प्रयास :– परिवार में स्नेहिहीन, तनाव एवं अलगाव वाला वातावरण व्यक्तियों को गुमराह करता है। बच्चों के सामाजीकरण में परिवार की अहम भूमिका होती है। माता–पिता को बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए निरन्तर जागरूक होना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए कि वे गुमराह न हों।

शिक्षण संस्थान स्तर पर प्रयास :– व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा कुछ ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। जिससे युवा वर्ग नशाखोरी की प्रवृत्ति से अपने को सुरक्षित कर सकें। "वर्तमान समय में यह सिद्ध हो चुका है कि नशाखोरी की समस्या से निजात चिकित्सीय पद्धति से पूर्णतः सम्भव नहीं है। बल्कि शैक्षणिक पद्धति ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी।"[4] शिक्षण का अर्थ अक्षर ज्ञान करा देना ही नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि युवा वर्ग न केवल उन्हें सुनते हैं। अपितु उन्हें देखते भी हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। किसी भी शिक्षक की यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उसका कार्य केवल कक्षा में आए विद्यार्थियों को पढ़ाने

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

तक सीमित है। बल्कि विद्यार्थियों के साथ कक्षा के अन्दर व बाहर घनिष्ठ अन्तः क्रियाएं एवं संवाद स्थापित करे। गांधी जी ने जीवन के उत्पादक तथा सृजनात्मक आयाम एवं ज्ञानार्जन के बौद्धिक, क्रियात्मक और चिन्तनशील आयामों के समन्वय की ओर इंगित करता है। ऐसा समन्वय युवा वर्गों के काम के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। जो शिक्षा एवं कार्य जगत को जोड़ेगा। इसी प्रकार शारीरिक एवं मानसिक कार्य के बीच के टकराव को, जो शिक्षित वर्ग को जन साधारण से अलग करता है, समाप्त करेगा साथ ही साथ शिक्षा के चरम लक्ष्य तक पहुचाने में सहायक सिद्ध होगा।''5

सामाजिक स्तर पर प्रयास :– नशाखोरी की प्रवृत्ति अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है। आज सामाजिक स्तर पर ऐसे मंच की आवश्यकता है जहां सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नेता/राजनेता, पुलिस के प्रतिनिधि साथ मिलकर नशाखोरी की समस्या से सम्बन्धित विचार–विमर्श कर समाज कल्याण के लिए उचित एवं व्यवहारिक कार्य योजनायों का निर्माण करें। जैसे– नव ज्योति नेटवर्क जो मादक पदार्थों के सेवन से ग्रसित व्यक्तियों को पता लगाने एवं उनका उपचार करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं जिसे समाज के विभिन्न अंगों का सहयोग मिल रहा है नवज्योति दल में परामर्शदाता, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, योग विशेषज्ञ स्थानीय पुलिस एवं स्वयंसेवक हैं जो क्षेत्रों में जाकर परिवारों से मिलकर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं नशाखोरी को रोकने के लिए इस अभिनव प्रयोग को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों व जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को भरपूर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।[6]

नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से अनेक सामाजिक बुराइयों एवं समस्याओं का जन्म हो रहा है जिसे दूर करने के लिए स्थानीय स्तरों पर चेतना की स्थापना करके जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं एवं नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न हो रहे असाध्य रोगों के प्रति जागरूक किया जाए। इस कार्य में निम्न भूमिकाएं सहयोग प्रदान कर सकते हैं जैसे विद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों के दल एवं सामुदायिक कार्य दल। ये दोनों दल सामाजिक रैलियां एवं संगोष्ठियों को आयोजित कर नशाखोरी की समस्या से निजात मिल सकता है।

नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के सरकारी उपाय :– मादक पदार्थों से अनेक प्रकार की हानियां होती है। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए सरकार ने समय–समय पर कई काननू बनाए हैं। 1893 में नशीले पदार्थों के प्रयोग को रोकने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्त की गई। जिसने अफीम की रोकथाम एवं दुष्प्रभाव का अध्ययन किया। 1895 में एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसमें सरकार की नशीले पदार्थों के प्रयोग एवं रोकथाम से सम्बन्धित जानकारी दी। 1936 में भारत सरकार ने मंत्रियों के एक सम्मेलन में 1959 तक देश भर में अफीम के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया।7

सन् 1994 में सरकार द्वारा तस्करी तथा तस्करों पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड प्रारम्भ किया गया। नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन व विभिन्न संस्थाएं मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अध्ययन क्षेत्र में इन संस्थाओं द्वारा उक्त संस्थाएं विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं।

भारत सरकार ने नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट पारित किए हैं जो निम्नांकित हैं–

– भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची का राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अन्तर्गत नशीले पदार्थों का बनाना, रखना, खरीदना, बेचना एक अपराध माना गया है।

– नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेंस एक्ट (एन0डी0पी0 एस0) 1985 के अनुसार पहली बार अपराध करने वालों को एक लाख रूपए जुर्माना तथा 10 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। यदि वह व्यक्ति दूसरी बार यही अपराध करता पकड़ा जाता है तो उस पर दो लाख रूपए जुर्माना किया जाएगा और 15 वर्ष का कारावास की सजा दी जाएगी।

– 19 दिसम्बर 1988 को भारतीय सांसद में नशीले पदार्थों के अवैध धंधे में दूसरी बार पकड़े जाने वाले व्यक्ति को मृत्युदण्ड के प्रावधान का विधेयक पास किया गया है।

– दिसम्बर 1988 में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के अनुसार– (क) नशीली पदार्थ बेचने वालों को पकड़े जाने पर किसी भी तरह से जमानत नहीं होगी। (ख) नशीले पदार्थ पकड़े जाने पर थोड़ा सा नमूना के रूप में रखा जाए और बाकी बचा मादक पदार्थ जलाकर नष्ट कर दिया जाए। (ग) नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों को दूसरी बार पकड़े जाने पर मृत्युदण्ड की सजा दिया जाए। (घ) नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले यदि पकड़े जाते है तो उनकी पूरी सम्पत्ति जप्त कर ली जाए।

– धारा 27 के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी के लिए एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि उसके पास एक ग्राम से अधिक अफीम आदि नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। तो उससे 10 वर्ष की सजा हो सकती है।

– धारा 28 (ए) के अनुसार नशीले पदार्थों के सेवन

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

करने वालों की मदद करने वालों को भी उक्त धारा 27 के तहत दण्ड दिया जा सकता है। जो 6 माह की होगी।

– बिना लाइसेंस के कैनाबिस की खेती, उत्पादन, अपने पास रखने, क्रय–विक्रय करने एवं आयात–निर्यात करने पर पकड़े जाने पर 5 वर्ष कारावास की सजा एवं पचास हजार रूपए जुर्माना किया जा सकता है।

भारत सरकार ने सभी राज्य पुलिस, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कमिश्नर, भारत सरकार राज्य सूचना विभाग के संचालक, केन्द्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, कस्टम जिलाधीश तथा केन्द्रीय पुलिस संगठन आदि को उपर्युक्त कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए हैं।

मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए 8 अप्रैल सन् 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार ने निम्नलिखित 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया।[8]

1. मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं उनके अवैध व्यापार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए केन्द्रीय शासन के गृह मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रीमण्डल उप समिति कार्य करेगी।
2. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकॉट्रॉपिक एक्ट, 1985 के अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए।
3. जप्त किए गए मादक पदार्थ जलाकर शीघ्र समाप्त कर दिए जाए।
4. सभी राज्यों में मादक पदार्थों से सम्बद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विषेश अदालतें गठित की जाए।
5. प्रयोगशालाओं की सुविधा मजबूत की जाए यदि आवश्यकता हो जो नई प्रयोगशाला भी खोली जाए।
6. जिलों में मादक पदार्थों को नष्ट करने हेतु मोबाइल किट वितरित की जाए।
7. प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को इस कार्य में लगाया जाए।
8. प्रत्येक राज्य पुलिस संगठन में मादक द्रव्य विरोधी सेल गठित की जाए।
9. लोगों के नशे के खिलाफ चेतना फैलाने नशे की लत छुड़ाने इलाज और उनके पुनर्वास कार्यक्रम समुदायों के अवसरों पर तत्काल प्रारम्भ किए जाए।
10. गंदी बस्तियों, स्कूलों, कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालयों में विशेष मादक पदार्थों सम्बन्धी काउंसलिगं और डी–एडिक्शन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाए।
11. अवैध अफीम एवं गांजा के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।
12. मादक पदार्थों को जप्त करने हेतु पुलिस टास्क फोर्स या गुप्तचर विभाग की सहायता ली जाए।
13. नशेड़ी व्यक्तियों को प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए।
14. उपर्युक्त नियमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाए।

नशील पदार्थों के नियंत्रण हेतु गैर सरकारी/सामाजिक

संगठन, संस्थाएं एवं पुनर्वास केन्द्र –

1. सामाजिक षोध केन्द्र,12. जनपथ लेन, नई दिल्ली– 110001 :–

इण्डियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटडे नेशन एसोसिएशन नामक संस्थान मादक द्रव्य व्यसन क्षेत्रों को ग्रहण करती है। यह संस्था कई राष्ट्रीय संगोष्ठी इसी विषय पर आयोजित कर चुकी है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में मादक व्यसन नियंत्रण कार्यक्रम चलाना है।

2. श्रीमती किरण बेदी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली– 110002 :–

श्रीमती किरण बेदी मादक द्रव्य व्यसन की रोकथाम के लिए सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। उक्त पते पर नशे सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सलाह प्राप्त की जा सकते है।

3. आशा निकेतन, उर्सुला अपार्टमेंट नम्बर–1, लैट–7, थर्ड लोर, हिल रोड बांद्रा, मुम्बई :–

यह संस्था गैर आवासीय औषधि लाभ और प्रशिक्षण वाली संस्था है। जो सन् 2003 से सक्रिय रूप से नशाखोरी निषेध कर सामाजिक कार्यक्रम चलाती है। यह संस्था औषधि समस्या के नियत्रंण पर विशेष ध्यान देती है। इसके साथ ही यह संस्था ड्रग एब्यूज शीर्षक पर शोध कार्य में भी संलग्न है।

4. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड ब्यूरो साइंसेस निमहंस, बैगलोर– 560029 :–

यह संस्थान सन् 2003 से औषधि दुर्व्यसन की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत नशा करने वालों के उपचार एवं शोध कार्य में विशेष भूमिका अदा कर रही है। शोध छात्र विभिन्न शोधों और अपनी सेवाएं इस कार्य में दे रहे हैं। मनोचिकित्सा समाज कार्य विभाग के रूस के साथ युवा कार्यकर्ताओं सहित इस पुनर्वास कार्यक्रम में संलग्न हैं।

टी0टी0 रंगनाथ, क्लीनिकल रिसर्च फाउंडेशन, 91 सेंट होम, हाईरोड, चेन्नई– 600028 :–

यह स्वयंसेवी संस्था मुख्यतः मद्यसेवी कि उन्मूलन में संलग्न हैं। यह संस्था व्यसनियों के उपचार, पुनर्वास के साथ ही सुरक्षातमक शैक्षणिक कायर्क्रम और मादक द्रव्य व्यसन और मद्यपानता पर सुधार हेतु सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में यह संस्था मनोवैज्ञानिक क्लीनिकल सुविधाएं प्रदान करती है।

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

उक्त नशा मुक्ति केन्द्रों के अलावा उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्र/पुनर्वास केन्द्र कानपुर (उ0प्र0), एहसास नशा मुक्ति केन्द्र, आजमगढ़ (उ0प्र0), मोबाइल नशा मुक्ति केन्द्र, प्रयागराज (उ0प्र0), नवयुग नशा मुक्ति केन्द्र, रामपुरम, अलुवा, नशा मुक्ति केन्द्र औरैया (उ0प्र0), नव जीवन ज्योति नशा मुक्ति केन्द्र, गोरखपुर, (उ0प्र0), एहसास नशा मुक्ति केन्द्र, दादपुर, चौराह, गोरखपुर, (उ0प्र0) आदि संस्थाओं द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्ति परामर्श केन्द्रों एवं सामाजिक पुनर्वास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी इस सन्दर्भ में विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या का पूर्ण समाधान केवल कठोर कानून बना देने से ही नहीं हो सकता, अपितु कहीं कठोर सामाजिक विधानों की आवश्यकता होती है। तो कहीं सामाजिक कार्यो की। सामाजिक कार्यो के अन्तर्गत सामाजिक जागृति व जनचेतना बहुत महत्वपूर्ण कारक है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के प्रयासों के बाउजूद भी नशा निषेध कानून तथा सामाजिक कार्यक्रम असफल सिद्ध हो रहे हैं। इस असफलता के पीछे उत्तरदाई कारण क्या है? उत्तरदाताओं का अभिमत जानने का प्रयास किया गया है जिससे तालिका– 1 में दर्शाया गया है–

तालिका संख्या– 1
नशा मुक्ति/नशा निशेध कार्यक्रमों की असफलता सम्बन्धी कारण

उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए उत्तरदायी कारण	उत्तरदाता (आवृत्ति/प्रतिशत)			
	सहमत	असहमत	तटस्थ	योग
मद्य निषेध कानूनों को कठोरता से लागू न कर पाना	319 (79.75)	25 (06.25)	56 (14.00)	400 (100.00)
पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बलों की निष्क्रिय भूमिकाएं	333 (83.25)	49 (12.25)	18 (04.50)	400 (100.00)
जन चेतना का अभाव	299 (74.75)	39 (09.75)	62 (15.50)	400 (100.00)
दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही न होना	349 (87.25)	12 (03.00)	39 (09.75)	400 (100.00)
गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिखावटी गतिविधियाँ	302 (75.50)	43 (10.75)	55 (13.75)	400 (100.00)

उक्त तालिका में कुल चयनित 400 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नशाखोरी/नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता के लिए 319 (79.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने मद्य निषेध कानूनों की कठोरता से लागू न कर पाना अपनी सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार 333 (83.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बलों की निष्क्रिय भूमिका को उत्तरदाई माना है। इसी प्रकार 299 (74.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जन चेतना का अभाव बताया है। इसी प्रकार 349 (87.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही न होना माना है तथा 302 (75.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिखावटी गतिविधियाँ करके धनोपार्जन करना माना है।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता सम्बन्धी कारकों को उत्तरदाताओं ने उत्तरदायी माना है :–

1. 79.75 प्रतिशत ग्रामीण युवक उत्तरदाताओं का मानना था कि मद्य निषेध कानूनों को कठोरता से लागू न कर पाना नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता का कारण है।
2. 83.25 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बलों की निष्क्रिय भूमिकाएं नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता का कारण हैं।
3. 74.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि जन चेतना व जन जागरूकता नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता का कारण है।
4. 87.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही का न होना नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता का कारण है।
5. 75.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिखावटी गतिविधियों एवं आर्थिक लाभ नशा निषेध कार्यक्रमों की असफलता का कारण है।

उक्त कारकों पर ध्यान आकर्षित करके ही नशाखोरी पर नियंत्रण सम्भव है। जिन्हें तालिका– 2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–.2
नशाखोरी पर नियंत्रण तथा नशा निषेध के सम्बन्ध में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं की सार्थकता के सम्बन्ध में उत्तरदाता के विचार

[illegible]	उत्तरदाता (आवृत्ति/प्रतिशत)			
	हाँ	नहीं	उदासीन	योग
[illegible]	[illegible]	—	35 ([illegible])	400 100.00
[illegible]	283 (70.75)	63 (15.75)	54 (13.50)	400 100.00
[illegible]	375 (93.75)	—	25 (06.25)	400 100.00
[illegible]	291 (72.75)	36 (09.00)	73 (18.25)	400 100.00
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible] 100.00
[illegible]	317 (79.25)	29 (07.25)	54 (13.50)	400 [illegible]
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible] 100.00
[illegible]	335 (83.75)	14 (03.5)	51 (12.75)	400 100.00

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

उपर्युक्त तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 400 उत्तरदाताओं के विचारों के अनुसार नशाखोरी के नियंत्रण तथा निषेध के सम्बन्ध में निर्वाह की जा रही भांति–भांति की भूमिकाएं और अधिक सार्थक एवं प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं। कुल चयनित उत्तरदाताओं में से 365 (91.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि कठोर कानूनों एवं वैधानिक कार्यवाही करके इस पर नियत्रंण किया जा सकता है। इसी प्रकार 283 (70. 75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था की सामाजिक पुनर्वास एवं चिकित्सकीय प्रयासों से, इसी प्रकार 375 (93. 75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि जनसंचार माध्यमों द्वारा नशा के दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता पैदा करके। इसी प्रकार 291 (72.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का माना था कि परिवार, स्कूल के सहानुभूति व्यवहार एवं स्वचछ वातावरण द्वारा। इसी प्रकार 307 (76.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाकर नशाखोरी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 317 (79.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि स्वैच्छिक संगठनों एवं शैक्षिक संस्थाओं के नशा निषेध कार्यक्रमों द्वारा। इसी प्रकार 269 (67.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करके। इसी प्रकार 335 (83.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि नशीली पदार्थों की लाइसेंस प्रणाली पर प्रतिबन्ध द्वारा नशाखोरी/नशा निषेध किया जा सकता है।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि नशा निषेध के सम्बन्ध में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सार्थक भूमिका अधिक सार्थक सिद्ध हो सकती है। जो इस प्रकार है–

1. 91.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि कठोर कानून एवं वैधानिक कार्यवाही करके नशा निषेध किया जा सकता है।
2. 70.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि सामाजिक पुनर्वास एवं चिकित्सीय प्रयासों से नशा निषेध किया जा सकता है।
3. 93.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि जनसंचार माध्यमों द्वारा नशा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता द्वारा नशा निषेध किया जा सकता है।
4. 72.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि परिवार, स्कूल के सहानुभूति व्यवहार एवं स्वच्छ वातावरण द्वारा नशा निषेध किया जा सकता है।
5. 76.75 उत्तरदाताओं का मानना था कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाकर नशा निषेध किया जा सकता है।
6. 79.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि स्वैच्छिक संगठनों एवं शैक्षिक संस्थाओं के नशा निषेध कार्यक्रमों द्वारा नशाखोरी पर नियंत्रण किया जा सकता है।
7. 67.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि सामाजिक मूल्य में परिवर्तन करके नशा निषेध किया सकता है।
8. 83.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि नशीले पदार्थों की लाइसेंस प्रणाली पर प्रतिबन्ध द्वारा नशाखोरी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दीक्षित डी0के0, (2000) विद्यार्थी और मादक पदार्थ, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर पृ0– 79
2. Saxena, K.P : (1997) Drug Addiction: A social Evil, Somaya Publishers, Bombay, p- 202
3. Singh M.N. : (2003) The Drug Addicts: A social Survey, Bhagawati Book Printers (Pvt. Ltd.) Bombay, p- 40
4. ....., (2001) मादक द्रव्य व्यसन शोध केन्द्र, 12 जनपथ लेन, नई दिल्ली, परिपत्र (7) वर्ष 2001, पृ0– 7–8
5. वर्मा आर0के0, (2008) मानव जीवन एवं शिक्षा मूल्य, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली प्रकाशन, पृ0– 11
6. Menan Beena: (1989) Drug: The Evil Addiction, The Hindi Packet Books, New Delhi, p- 80
7. गुप्ता एल0एम0 एवं शर्मा डी0डी0 (2007) सामाजिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ0– 365
8. मादक पदार्थों की रोकथाम, 14 सूत्री कार्यक्रम, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार, दिल्ली, परिपत्र– 1990

*****